न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2021/198
मिसलनम्बर–26/2021

1. मकसूद आलम आत्मज स्व०महमूद आलम आयु 65 वर्ष
2. सऊद आलम आत्मज स्व०महमूद आलम आयु 60 वर्ष
3. मुख्तार आलम आत्मज स्व० महमूद आलम आयु 55 वर्ष
4. महफूज आलम आत्मज स्व० महमूद आलम आयु 46 वर्ष जाति मुसलमान निवासीगण घोंसी मोहल्ला किशोरपुरा, कोटा जिला

–प्रार्थी

बनाम

1. शकील अहमद आत्मज स्व० अब्दुल सलाम
2. अकील अहमद आत्मज स्व० अब्दुल सलाम
3. चांद बीबी पुत्री स्व० अब्दुल सलाम, पत्नी मुश्ताक अहमद
4. रोशन आरा पुत्री स्व० अब्दुल सलाम, पत्नी अब्दुल जावेद
5. शकीला पत्नी स्व० अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासीगण घोंसी मोहल्ला किशोरपुरा, कोटा जिला कोटा राज०
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 11/8/21

उपस्थिति:–
1.श्री ललित नागर अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता अप्रार्थीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण मुंशी मोहम्मद हुसेन जी के वारिसान है। जिनके तीन पुत्र अब्दुल रहमान, अब्दुल हकीम व मोहम्मद युसूफ हुये तथा अब्दुल हक़ीम के पुत्र अब्दुल सलाम हुये। तथा अब्दुल रहमान के दो पुत्र शमशुर्रहमान व जहीर तथा एक पुत्री नन्नी हुये। इस प्रकार सभी एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण नन्नी पुत्री अब्दुल रहमान,

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटा

पत्नी महमूद आलम के वारिसान है। ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा में पुराने खसरा नम्बर 27 की 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 की 10 बीघा 1 बिस्वा कुल 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रतिपक्षी न० 1 ता 5 के पिता अब्दुल सलाम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। उक्त भूमि मुश्तर्का पूंजी से अब्दुल सलाम के नाम खरीद की गयी थी इसी प्रकार प्रार्थीगण के पिता अब्दुल रहमान जी के पास तीन मकान घोंसी मोहल्ला किशोरपुरा कोटा में स्थित है। उक्त मकान व कृषि भूमि पक्षकारान की पुश्तेनी सम्पति है। जिसके बाबत प्रतिपक्षी गण नं० 1 ता 5 के पिता अब्दुल सलाम एंव प्रार्थीगण के नाना अब्दुल रहमान व उनके वारिसान के मध्य उपरोक्त कृषि भूमियां व मकानात के बाबत पारिवारिक बंटवारा दिनांक 18–12–70 को हुआ ओर उसके बाद पंचायत के समक्ष दिनांक 8–10–91 को आपसी विभाजन हुआ जिसमें उक्त 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि जहीर आ० अब्दुल रहमान को प्राप्त हुई जिसे जहीर के वारिसान ने बेचान करदी तथा शेष भूमि प्रार्थीगण की माता नन्नी बाई को प्राप्त हुई। इसके बदले में मोहम्मद युसूफ ने प्रार्थीगण के पिता के तीनों मकान प्राप्त कर लिये व अब्दुल सलाम जी ने अन्य सम्पति अपने पास रखी जिसको उन्होने बेचान करदी। वर्ष 1970 के बाद अब्दुल सलाम जी का अथवा उसके वारिसान प्रतिपक्षीगण का कभी भी कब्जा व हक अधिकार नहीं रहा। उक्त कृषि भूमि 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि जहीर के वारिसान द्वारा बेचान करने के बाद शेष भूमि रही ओर उसमें सेटलमेन्ट हो गया ओर शेष भूमि के नये खसरा नम्बर 217 की 0.74 हेक्टर कायम किये जाकर अब्दुल सलाम के खाते दर्ज रही। जिसको प्रार्थीगण की माता नन्नी बाई के खाते दर्ज करवाना था। किन्तु अब्दुल सलाम जी ने नन्नी बाई के खाते दर्ज करवाने में टालमटोल करते रहे। जब कि उक्त भूमि पर पारिवारिक विभाजन के बाद से यानी 1970 से अब्दुल रहमान जी काबिज हुये तथा वर्ष 1991 से प्रार्थीगण की माता नन्नी बाई का व नन्नी बाई की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का कब्जा काश्त बहेसियत खातेदार निरन्तर अबाध्य रूप से चला आ रहा है। तथा प्रार्थीगण खातेदार घोषित होने व उक्त भूमि प्रतिपक्षीगण के खाते से हटायी जाकर प्रार्थीगण के खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त भूमि अब्दुल सलाम जी के नाम दर्ज चली आ रही थी। अब्दुल सलाम जी का इंतकाल वर्ष 2018 में हो गया। किन्तु प्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा होने के कारण इंतकाल तस्दीक नहीं कराया किन्तु भूमियां की रेट बढ जाने से प्रतिपक्षीगण के मन में बदनियती आ गयी और उन्होने अब्दुल सलाम जी का फोती इंतकाल अपने नाम खुलवा लिया। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा बहैसियत खातेदार चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर धान (चावल) की फसल बो रखी है। किन्तु प्रतिपक्षीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में आ जाने के कारण दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

17–7–2021 को प्रतिपक्षीगण एक राय होकर उक्त भूमि पर आये ओर वादीगण को उक्त भूमि पर से बेदखल करने की धमकी दी तथा चावल की फसल नष्ट करने व भूमि को खुर्द बुर्द व रहन बेचान करने की धमकी। जबकि प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करे व उक्त भूमि प्रार्थीगण को उनके खाते दर्ज कराने से रोके। यदि उक्त भूमि को प्रतिपक्षीगण द्वारा खुर्द बुर्द व बेचान कर दिया गया व प्रार्थीगण को भूमि से बैदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी व पुश्तैनी भूमि से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगें। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थीगण का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 217 की 0.74 हेक्टर भूमि को अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण आदि नहीं करे, प्रार्थीगण को काश्त करने से नहीं रोके ओर न बेदखल करे। तथा उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया।

अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 की ओर से निम्न लिखित जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कवंरपुरा तहसील लांडपुरा जिला कोटा में उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 4 के पिता व अप्रार्थी क्रम 5 के पति अब्दुल सलाम जी ने खरीद की है, और उनकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण जो कि उनके विधिक वारिस है को विधिक अधिकार प्राप्त होने से उक्त आराजी का विधि सम्मत इन्तकाल अप्रार्थीगण के पक्ष में खोला गया है। प्रार्थीगण ने झूठे असत्य व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण के पूर्वज व अप्रार्थीगण के पिता के मध्य कभी भी कोई पारिवारिक बंटवारा नही हुआ है प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित पारिवारिक बटवारा का कथन बिलकुल असत्य है। अप्रार्थीगण के पिता का इन्तकाल वर्ष 2018 में हुआ है, यदि प्रार्थीगण के पूर्व व अप्रार्थीगण के मध्य कोई पारिवारिक बटवारा हुआ होता तो अप्रार्थीगण के पिता द्वारा अप्रार्थीगण को बताया गया होता और अप्रार्थीगण के, पिता के जीवनकाल में ही अप्रार्थीगण के पिता के सामने लाते, और उसको तस्दीक करवाते इस कारण भी उक्त पारिवारिक बटवारा स्वतः ही बनावटी व फर्जी होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। जिस पारिवारिक बंटवारे को आधार बना कर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

झूठा प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है वह किसी भी न्यायालय या किसी अधिकारी एवं नोटेरी से तस्दीक नही है इस प्रकार भी उक्त दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज होने से वाद खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खाते शुदा कृषि आराजी को हडप करना चाहते है, इसी कारण से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के पिता जिन्होने उक्त आराजी को खरीद किया था जिसको उक्त फर्जी व बनावटी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो कि खारिज हाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। बहस उपभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी मुंशी मोहम्मद हुसैन ने अब्दुल सलाम के नाम से क्रय की थी तथा आपसी सेटलमेंट मे यह भूमि अब्दुल रहमान को मिली। सन् 1970 से अब्दुल रहमान व उसके वारिसान का उक्त भूमि पर कब्जा है। सन् 1991 मे अब्दुल रहमान द्वारा तैयार किये गये सेटलमेंट मे अब्दुल सलाम गवाह है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि इनका कब्जा विविध दस्तावेजों से प्रमाणित है 1999 से सिचांई कर की रसीदे महफुज आलम और मकसुद आलम के नाम से है। जो यह प्रमाणित करता है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण ही काबिज काश्त है। चूकि 1991 के सेटलमेंट मे अब्दुल सलाम के गवाह के रूप मे हस्ताक्षर है अतः अप्रार्थीगण को उक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी है। विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब दावे मे कही भी प्रार्थीगण के कब्जे को नकारा नही गया है। अतः पारिवारिक बंटवारा सही है या नही, यह सबूतों व साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा आज भी बेदखली बाबत कोई काउन्टर क्लेम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का परमिशिबल पजेशन है तथा बेटी को हिस्सा प्राप्त होगा या नही यह साक्ष्यों के आधार पर तय होगा।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण खुद ही स्वीकार कर रहे है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि वे किस सिविल राईट के आधार पर न्यायालय मे उपस्थित हुये है। प्रार्थीगण ने यह भी स्पष्ट नही किया कि उनका अधिकार कैसे उत्पन्न हुआ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त म्यूटेशन के विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा मे प्रस्तुत की गई थी। जो न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा निरस्त कर दी गई है। न्यायालय जिला कलक्टर कोटा का निर्णय प्रमाणित करता है कि वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीगण का कोई अधिकार निहित नही है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए हैः–

Citation : 2021(1) DNJ (SC) 337

Ravinder kaur Grewal &ors..... *Appellants*

Versus

Manjit kaur & Ors.....*Respondents*

Registration Act, 1908-Sec. 17(2) (v)- Civil Procedure Code, 1908-Sec. 100- FAmily settlement- Transfer of interest in immovable property worth more than Rs. 100/- in favour of the plaintiff- Whether registration is necessary - Plaintiff and defendant Nos. 1 & 2 are the real brother - Khasra No. 935/1/1/1 was purcehased by M.S. & S.S. and Khasra No. 935/1/1/2 was purched by the plaintiff and shown as owner of the land - parties decided to prepare a memorandum of family settelment incorporating the terms already settled and executed it on 10.03.1988 but the defendants resiled from the family arrangement - plaintiff constructed 16 shops, samadhi of his wife and boundary wall on the property in name of the defendants and he was in possession thereof -plaintiff was the eldest borther defendants admitted the possession of the plaintiff but it was permissive possession- first appellante court rightly held that the document Ex. P-6 can be construed only a memorandum of family settlement and no registration was necessary -family settlement arrived at in 1970 and acted upon by the concerned parties - No registration is required- Clause (V) of Sec. 17(2) is attracted - Held, Impunged judgment psssed by the High Court is set aside and the judgment passed by tht First Appellate Court is restored.

Citation : 2014 DNJ (Revenue) 211

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को

Mohan lal & ors..... *Petitioners*

Versus

Khimi Devi & Ors.....*Respondents*

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 230- Family settlement taken on record -revision -unregistered document more than 30 years old document -partition suit was based on familuy settlement executed by the parties in the year 1978-No Legal or jurisdictional error in the order.

Citation : 2013(1)RRT 49
Rajasthan High Court

Barkat khan & ors..... *Petitioners*

Versus

Shimla @Seema & Ors.....*Respondents*

Code of Civil Procedure, 1908- Order 39, Rule 1&2- Temporary injunction -suit for cancellation of sale deed & P.I.- Poperty in question is ancestral or self acqured, shall be adjucated at the trial -plaintiff in possession of the property Share of married daughter in the ancestral Property - Appellant No. 2 failed to give date of purchase of the property Proma facie strong case in favour of the plaintiff- Held, No illegality on perversity in the order of granting T.I.

Citation : 2014(2)RLW 1561 (Raj.)
Rajasthan High Court

Rajeshwer Shankar Choudhary@Rajesh Choudhary & ors.....*Petitioners*

Versus

Shiv Shankar Choudhary & Ors.....*Respondents*

CPC, Order 39 Rule 1- Application of plaintiffs seeking temporary injunction -Trial Court dismissed -Contentions issues involved in the

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को

suit -Issues like whether the plot in question was HUF property or not, whether the partition taken place or not, whether the family settlement is forged one or not, be decided on the basis of evidence led by the parties -Held -Trial Court directed to expendite the trial of suit and during the trial the respondent defendant are directed to maintain *status quo* as regareds the construction, alienation or creating any third party interest.

Citation : 2015(1)WLC 448 (Raj.)
Rajasthan High Court

Sirajuddin @ Vajir miyan & ors.....*Petitioners*

Versus

Abdul Gaffar & Ors.....*Respondents*

Civil procedure code, O. 39, Rr. 1, 2 - Temporary injuction against both parties -Property- Both parties claiming title to property- Ownership disputed- Question of fact can be decided only on basis of evidence in view of prevailing antagonism between parties and in order to balance conflict of interest, inpugned order justified in restraining both parties by directing them ot maintain *status quo*.

Citation : 2013(1)DNJ 170 (Raj.)
Rajasthan High Court

Ram Kishore Kumawat.....*Petitioners*

Versus

Madan lal kumawat &
Ors.....*Respondents*

Civil procedure code, 1908 O. 39, Rr. 1, 2 - Temporary injuction Appellant claimed right in the property on the basis settlement - Respondents sold the property to respondent No..... It is a matter of evidence as to whether the appellant has legal right in th property Suit involves the triable issues- *status quo* and shall not alienate or transfer the property

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। बहस वकुलाय फरिकेन पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा न्यायिक दृष्टान्तों से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

प्रार्थीगण की मुख्य प्रार्थना यह है कि वादग्रस्त आराजी उन्हे पारिवारिक समझौते के तहत प्राप्त हुई थी तथा तब से ही वे वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सिंचाई कर की रसीदे इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि भूमि पर प्रार्थीगण ही काश्त कर रहे है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त यह प्रमाणित करते है कि पारिवारिक समझौते का पंजिकृत होना आवश्यक नही है। मूल वाद के निस्तारण मे यह निर्धारित किया जाना है कि वादीगण खातेदारी की योग्यता रखते है या नही। प्रार्थीगण का यह कथन भी तथ्यों से प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण द्वारा आदिनांक बेदखली हेतु कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया है। उक्त परिस्थितियों मे जबकि भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है, एवं भूमि राजस्व जमाबंदी में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। पारिवारिक बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का गुणावगुण के आधार पर निर्धारण होना शेष है।

इस प्रकार खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नहीं होने तक विवादित आराजी को खुर्द बुर्द हो जाने का भय सदा व्याप्त रहेगा। उभयपक्षकारान के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के पश्चात ही सम्भव होगा परन्तु इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बनना पाया जाता है जो सम्भवतया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी उन्हे पारिवारिक समझौते के तहत प्राप्त हुई थी तथा तब से ही वे वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सिंचाई कर की रसीदे इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि भूमि पर प्रार्थीगण ही काश्त कर रहे है। ज्ञातव्य है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है जिसे प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे विवादाग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा प्रमाणित हो। इसलिये प्रकरण मे सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है।

प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है एवं केवल मात्र वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी को खुर्द बुर्द, रहन, बेचान कर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को

दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में यह प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के उक्त आराजी में निहित अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के हक में प्रमाणित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होने से तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 217 की 0.74 हेक्टर भूमि को अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण आदि नहीं करे, प्रार्थीगण को काश्त करने से नहीं रोके ओर न बेदखल करे। तथा उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखे।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 11/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा